गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 19.09.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 163वीं बैठक दिनांक 19.09.2023 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय ने गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामना देते हुए सभी को एक जुट होकर आगामी नैक प्रत्यायन के लिए आवश्यक तैयारी किये जाने हेतु प्रेरित किया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03. **पर्यावरण शिक्षा को Under Graduate पाठ्यक्रमों में अंगीकृत किये जाने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को आगामी बैठक के लिए स्थगित किया जाय।

विषय क्र. 04. **विश्वविद्यालय परिसर में ब्रेड बनाने हेतु बेकरी की स्थापना किये जाने पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर में ब्रेड बनाने हेतु बेकरी की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य विभागीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित होगा।

विषय क्र. 05. **अध्ययन मण्डल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित बी.टेक की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित बी.टेक की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 06. **अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.09.2023 के कार्यवृत्त पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 11.09.2023 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07. **वनस्पति विज्ञान विभाग के पी.जी. स्तर में शैक्षणिक भ्रमण को जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि वनस्पति विज्ञान विभाग के पी.जी. स्तर में शैक्षणिक भ्रमण को जोड़े जाने संबंधी अध्ययन मण्डल के कार्यवृत्त दिनांक 07.09.2023 का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष को कारण बताओं नोटिस जारी कर यह जानकारी प्राप्त कर लिया जाय कि शैक्षणिक भ्रमण कराने में विलम्ब क्यों हुआ।

विषय क्र. 08. **सत्र 2023–24 में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन शाखा के विभिन्न विभागों में संचालित एम.टेक. कोर्स में प्रवेश के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सत्र 2023–24 में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन शाखा के विभिन्न विभागों में संचालित एम.टेक. कोर्स में प्रवेश प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 09. **जेन्डर चैम्पियन (11 महिला एवं 11 पुरूष छात्र/छात्राओं) का विद्वत सत्र 2023–24, आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रस्तुत मार्गदर्शिका के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जेन्डर चैम्पियन (11 महिला एवं 11 पुरूष छात्र/छात्राओं) का विद्वत सत्र 2023–24, आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रस्तुत मार्गदर्शिका का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 10. **फिटनेश केन्द्र सलाहकार एवं पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता शुल्क एवं मासिक शुल्क के प्रारूप अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि फिटनेश केन्द्र सलाहकार एवं पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यता शुल्क एवं मासिक शुल्क के प्रारूप का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित मसौदे की भाषा में बैठक के दौरान सुझाये गये संशोधनों को शामिल करने के उपरान्त ही प्रसारित किया जाय।

19/09/2023

19/09/23

विषय क्र. 11. **अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में संचालित विभिन्न विभागों के B.Tech program के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में Lateral admission (पार्श्व प्रवेश) सत्र 2023–24 में देने के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में संचालित विभिन्न विभागों के B.Tech program के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में Lateral admission (पार्श्व प्रवेश) सत्र 2023–24 संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 12. **विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न फर्मों को भुगतान हेतु रूपये 6,76,629/– के अतिरिक्त स्वीकारोक्ति के सूचना पर विचार।**

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न फर्मों को भुगतान हेतु रूपये 6,76,629/– के अतिरिक्त स्वीकारोक्ति संबंधी प्रस्तुत जानकारी की सूचना विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने ग्रहण की तथा यह निर्णय लिया कि कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 13. **एल.एल.एम. प्रोग्राम के रिक्त सीटों में सीधे प्रवेश प्रदान किये जाने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि एल.एल.एम. प्रोग्राम के रिक्त सीटों में सीधे प्रवेश प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे आवेदक जिन्होंने सीयूईटी स्नातक/स्नातकोत्तर 2023 की परीक्षा नहीं दी है उन्हें भी अवसर प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रावीण्यता के आधार पर, पूर्व की समस्त प्रावीण्य सूचियों में कोई भी आवेदन/अभ्यर्थी शेष न हो होने की स्थिति में, प्रवेश प्रदान करने हेतु प्रवेश सूचना जारी की जाय एवं विशेष कॉउंसिलिंग आयोजित किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी शैक्षणिक सत्रों में स्व–वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों को सीयूईटी में शामिल न कराया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि स्व–वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश हेतु प्रक्रिया सम्पन्न की जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि स्नातक स्तर के रिक्त हो रहे सीटों पर प्रवेश हेतु भी प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 विश्वविद्यालय के विद्यापीठ मण्डलों के गठन के संबंध में प्रस्तुत विषय पर चर्चा की गई। विद्यापीठ मण्डल की संरचना में बाह्य विशेषज्ञ विद्यापरिषद द्वारा नामित किये जाने का प्रावधान है। विद्यापीठ मण्डलों का गठन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है एवं विद्यापरिषद की बैठकें अल्प अंतराल में आयोजित नहीं होती है। अतः यह प्रस्तावित किया गया कि कुलपति महोदय को विद्यापीठ मण्डलों में बाह्य विशेषज्ञों को विद्यापरिषद की ओर से नामित किये जाने हेतु अधिकृत कर दिया जाय।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि कुलपति महोदय को विद्यापरिषद की ओर से इस कार्य हेतु अधिकृत कर दिया जाय तथा स्थायी समिति के इस निर्णय को पुष्टि हेतु विद्यापरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

19/09/2023

19/09/23

अ.अ.वि.क्र.2	विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 22.08.2023 जिसमें एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक स्तर के कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है, पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि बैठक दिनांक 22.08.2023 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।
अ.अ.वि.क्र.3	बालिका शोधार्थी छात्रावास क्रमांक–2 के कक्षों को यूजी तथा पीजी छात्राओं को आबंटित करने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

19/09/23 — 19/09/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव — **कुलपति / अध्यक्ष**